

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

**125616 - क्या एक गैर वापस फीस देकर ड्रा में प्रवेश करने के द्वारा घर खरीदने की अनुमति है ?**

---

## प्रश्न

क्या इस शर्त के साथ एक घर का खरीदना जाइज़ है कि आदमी एक अग्रिम राशि का भुगतान करे और ड्रा में प्रवेश करने के लिए एक निर्धारित शुल्क (फीस) भुगतान करे, यदि ड्रा आदमी के हिस्से में निकलता है तो वह उस राशि का शेष भाग भी भुगतान करेगा जिस का इस घर के मूल्य के रूप में भुगतान करना निर्धारित है, लेकिन अगर ड्रा आदमी के भाग में नहीं निकलता है तो वे केवल उसे वह राशि वापस लौटायेंगे जो उस ने अग्रिम भुगतान किया है, और ड्रा में प्रवेश करने की फीस को वापस नहीं लौटायेंगे ? मैं ने इस प्रकार की कार्यवाही के लिए क़दम नहीं बढ़ाया है ; क्योंकि मैं ने महसूस किया कि यह जुआ का एक प्रकार है, तो क्या मेरा यह सोचना सच है ? आप से अनुरोध है की मुझे उत्तर प्रदान करें, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं। और यदि आप उपर्युक्त शर्त को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस लिंक को देखें।

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

आप का इस प्रक्रिया को जारी रखने से रूक जाना ही सही क़दम है, बल्कि ऐसा करना ही अनिवार्य है, क्योंकि उस ड्रा (लॉटरी) में ऐसी फीस देकर प्रवेश करना जो वापस नहीं होगी : वास्तव में जुआ में प्रवेश करना है, और जुआ का नियम यह है कि : जिस में आदमी अपने पैसे को जोखिम और खतरे में डाल कर प्रवेश करता है, या तो वह इस पैसे को खो देगा, या जीत जायेगा।

आप ने जो कुछ उल्लेख किया है उसे देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि जिस आदमी के नाम ड्रा नहीं निकलता है वह अपनी भुगतान की हुई फीस को खो देगा, और अगर उस का नाम ड्रा में निकल आता है तो वह एक विजेता होगा -अर्थात् घर खरीदने में वह जीत जायेगा-, इस से स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यक्रम (सौदे) में प्रवेश करना हराम (निषिद्ध) है।

यह कार्यक्रम सरकारी या निजी नीलामियों (टेण्डर) में प्रवेश करने के समान है, जिस में भाग लेने के लिए शुल्क का भुगतान

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

किया जाता है, और अक्सर नीलामियों में भाग लेने वालों से शर्तों और गुणों की पुस्तिका की कीमत से अधिक राशियाँ ली जाती हैं, तथा "इस्लामी फिक्ह परिषद" ने "शर्तों की पुस्तिका" की कीमत से अधिक राशि लेने से रोका है, जो कि उस काम की शर्तों और गुणों पर आधारित होती है जिस को करना होता है, और हम ने इस करारदाद के मूल अंश को प्रश्न संख्या : (2150) के उत्तर में उल्लेख किया है, और उस में यह है कि : "धार्मिक तौर पर प्रवेश शुल्क -शर्तों की पुस्तिका का मूल्य जो वास्तविक मूल्य से अधिक न हो- लेने में कोई रूकावट नहीं है, क्योंकि यह उस की कीमत है।"

हम आप को जिस बात की सलाह देते हैं वह यह है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से घर न खरीदें।

और अल्लाह तआला ही सब से श्रेष्ठ ज्ञान रखता है।